Reader
07/11/24

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रैक),
श्रीगंगानगर।

अजय ढाका बनाम अशोक कुमार व अन्य

श्रीमानजी,

प्रकरण संख्या 62 / 2024
तारीख फैंसला–28.10.2024

श्रीमान जी,

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से है:–

1. यह कि उक्त अनवानी प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 28.10.2024 को निर्णय / डिक्री पारित किया जा चुका है।
2. यह कि वादगत आराजी प्रतिवादी संख्या 01 के नाम से दर्ज है तथा वाद पत्र में भी यही अंकित है कि वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 01 के नाम से दर्ज है मगर निर्णय व डिक्री में लिपिकिय त्रुटि से उक्त प्रकरण में उक्त आराजी (जो प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से दर्ज है) अंकित हो गया है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि पत्रावली पेशी में ली जाकर उक्त अनवानी प्रकरण में यह आदेशिका जारी की जावे कि "निर्णय व डिक्री में जहां (जो प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से दर्ज है) अंकित है उसे (जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है) पढा व माना जावे तथा इस आदेशिका को निर्णय व डिक्री का भाग माना जावे।

आपकी अति कृपा होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.12.09 14:00:17 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक:–07.11.2024

प्रार्थी
अजय ढाका
जरिये अधिवक्ता
7/11/2024

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रैक) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी– स्वाति गुप्ता, R.A.S

संशोधित आदेश

अजय ढाका बनाम अशोक कुमार आदि
वाद संख्या 062/2024
तारीख निर्णय व डिक्री 28.10.2024
अर्न्तगत धारा 88, 53 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थी/वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 152 सीपीसी पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 01 के नाम से दर्ज है तथा वाद पत्र में भी यही अंकित है कि वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 01 के नाम से दर्ज है मगर निर्णण व डिक्री में लिपिकिय त्रुटि से उक्त प्रकरण में उक्त आराजी (जो प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से दर्ज है) अंकित हो गया है। जिसकी दुरूस्ती हेतु निवेदन किया गया है।

प्रार्थी के प्रार्थना पर पत्रावली पेशी में ली जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाद पत्र व सलंग्न जमाबंदियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है। निर्णय के क्रियात्मक आदेश व डिक्री में क्लेरिकल/टाईपिंग मिस्टेक से (जो प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से दर्ज है) अंकित हो गया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर यह संशोधित आदेश जारी किया जाता है कि निर्णय के क्रियात्मक आदेश व डिक्री में अंकित (जो प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से दर्ज है) को (जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है) पढ़ा व माना जावे तथा इस संशोधित आदेश को निर्णय व डिक्री दिनांक 28.10.2024 का भाग माना जावे।

संशोधित आदेश मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 07 नवम्बर 2024 को जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.12.09 14:01:17 IST
Reason: SelfAttested

स्वाति गुप्ता
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीगंगानगर